


म.प्र. पाँवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमि. जबलपुर

रजिस्टर्ड ऑफिस, ब्लाक नं. 2, शक्तिभवन, रामपुर, जबलपुर (म.प्र.) 482 008

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/ 1886

जबलपुर, दिनांक 16/7/2012



19 JUL 2012

परिपत्र

म.प्र.पाँवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के संचालक मण्डल द्वारा लिए गये निर्णयानुसार कंपनी द्वारा नियोजित नियमित कर्मियों के लिए समूह बचत सह बीमा योजना (दुर्घटना हितलाभ सहित) (Group Savings Linked Insurance Scheme – GSLIS, with Accidental Insurance) लागू की जाती है।

इस योजना में म.प्र.पाँवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (आगे के संदर्भों में मात्र "कंपनी") द्वारा नियमित नियुक्त सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मिलित किया जा सकेगा, तथापि योजना में सम्मिलित होना ऐच्छिक होगा। कर्मचारी/अधिकारी की श्रेणीवार बीमा राशि एवं प्रतिमाह अंशदान का विवरण निम्नानुसार होगा :-

वेतन बैंड	वेतनमान एवं ग्रेड पे	बीमा राशि (रुपये)	दुर्घटना हितलाभ के साथ प्रतिमाह कटौती राशि (रुपये)
वेतन बैंड-4	रु. 37400 – 67000 + ग्रेड पे	6 लाख	638.00
वेतन बैंड-3	रु. 15600 – 39100 + ग्रेड पे	4 लाख	425.00
वेतन बैंड-2	रु. 9300 – 34800 + ग्रेड पे	3 लाख	319.00
वेतन बैंड-1	रु. 5200 – 20200 + ग्रेड पे	2 लाख	213.00

इस योजना के अंतर्गत प्रतिमाह कटौती राशि का 55 से 65 प्रतिशत भाग बचत एवं शेष भाग जोखिम सुरक्षा हेतु व्यय होगा एवं यह अंशदान (प्रीमियम) संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को वहन करना होगा जिसकी कटौती उनके मासिक वेतन से प्रतिमाह की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत प्रथम बार दो माह के अंशदान की कटौती वेतन से की जायेगी। इस संबंध में कंपनी की ओर से इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों के अंशदान की कटौती की व्यवस्था प्रतिमाह वेतन से सीधे ही काटने बाबत सुविधा, कंपनी की ओर से प्रदान की जावेगी। किन्हीं भी परिस्थितियों में यदि मासिक अंशदान नियमित रूप से जमा नहीं होता है तो बीमा सुरक्षा स्वतः समाप्त हो जायेगी और इस दौरान आकस्मिकता/कर्मी की मृत्यु होने की दशा में संबंधित का दावा मान्य नहीं होगा, जिसके लिए कंपनी जवाबदार नहीं होगी। यदि कोई कर्मचारी/अधिकारी लगातार एक माह या उससे अधिक अवैतनिक अवकाश पर रहता है, तो ऐसी स्थिति में बीमा को चालू रखने की दृष्टि से 3 माह तक अंशदान कंपनी द्वारा जमा किया जायेगा, जिसकी वसूली बाद में कर्मचारी/अधिकारी के वेतन से अथवा उसको देय अन्य स्वत्वों से की जायेगी। यदि कोई कर्मचारी/अधिकारी 3 माह से अधिक समय तक अवैतनिक अवकाश या अनधिकृत रूप से

अनुपस्थित रहता है तो इस योजना के अंतर्गत अपना अंशदान जमा कराने की व्यवस्था उसे स्वयं करनी होगी। तथापि, यदि कर्मचारी/अधिकारी स्वास्थ्य कारणों से लम्बे समय तक अवैतनिक अवकाश पर रहता है तो कंपनी द्वारा ऐसे प्रकरणों में 3 माह के उपरांत भी मानवीय आधार पर मासिक अंशदान जमा किया जाता रहेगा जिसकी वसूली बाद में अधिकारी/कर्मचारी के वेतन से अथवा उसको देय अन्य स्वत्वों से की जावेगी। परन्तु यह मासिक अंशदान कर्मचारी हित में अधिकतम 12 माह तक ही जमा किया जावेगा। उपरोक्तानुसार इंगित (स्वास्थ्य कारणों से अधिकतम 12 माह तक अथवा स्वास्थ्य कारणों के अतिरिक्त अन्य किसी दशा में अधिकतम 3 माह तक) यदि मासिक अंशदान नियमित रूप से जमा नहीं होता है तो बीमा सुरक्षा स्वतः समाप्त हो जायेगी और इस दौरान कर्मियों की मृत्यु होने की दशा में उसका दावा मान्य नहीं होगा, जिसके लिए कंपनी जवाबदार नहीं होगी। अवकाश से लौटने, कार्यस्थल पर उपस्थित होने के उपरांत भारतीय जीवन बीमा निगम की सभी औपचारिकताओं की पूर्ति यथा प्रीमियम, ब्याज एवं स्वास्थ्य परीक्षण इत्यादि के पश्चात ही प्रचलित नियमानुसार जोखिम सुरक्षा पुनः नियमित हो सकेगी, तथापि इस संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति ली जाती है तो उसे संबंधित कर्मचारी को मान्य करना होगा। उपरोक्त सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने की जिम्मेदारी संबंधित कर्मचारी/अधिकारी की होगी, कंपनी इस संबंध में किसी प्रकार की जिम्मेदारी वहन नहीं करेगी।

सभी कर्मचारियों/अधिकारियों का अंशदान एकमुश्त रूप से जमा कराने का उत्तरदायित्व संयुक्त निदेशक (वित्त) कार्यालय : मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का होगा। इस योजना के अंतर्गत शामिल अधिकारी/कर्मचारी की असामयिक मृत्यु पर बीमाधन के साथ बचत भाग एवं उस पर देय ब्याज भी प्राप्त होगा। दुर्घटना से मृत्यु होने पर मूल बीमाधन की दुगुनी रकम देय होगी जो इस तरह के प्रकरणों में लागू प्रावधानों के अंतर्गत होगी। योजना के अंतर्गत जमा राशि पर कर्मचारी को आयकर की धारा-80 सी के तहत कर में छूट प्राप्त होगी। अधिकारी/कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने या नौकरी छोड़ने पर जमा बचत भाग राशि ब्याज सहित वापिस की जा सकेगी।

नोडल अधिकारियों को नामांकित किया जाना

इस योजना के लिए कंपनी मुख्यालय स्तर पर कार्यरत सभी विभाग प्रमुखों यथा कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता कार्यालय में कार्यरत स्थापना विभाग के प्रभारी अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता नोडल अधिकारी रहेंगे, जिन्हें संबंधित कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता नामांकित करेंगे। इस परिपत्र के प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर सभी विभाग प्रमुख/संकाय प्रमुख उक्ताशय की जानकारी (नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय, दूरभाष क्रमांक, मोबाइल नंबर इत्यादि) कंपनी सचिवालय को प्रदान करेंगे। ये नोडल अधिकारी अपने-अपने विभाग के अधीनस्थ कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों से प्रपत्र "अ", "ब" एवं "स" में वांछित जानकारियाँ, दो प्रतियों में प्राप्त कर, एक प्रति संबंधित कार्यालय जहाँ कर्मी कार्यरत है तथा एक प्रति विभाग प्रमुख (यथा कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता) के कार्यालय में कृपया सुरक्षित रखें। संलग्न प्रपत्रानुसार प्रपत्र "ब" में इच्छुक कर्मियों की संकलित सूची साफ्ट कापी (सी.डी. MS Excel में) तथा हार्ड कापी (2 प्रति) में विभागीय/संकाय प्रमुख, कृपया कंपनी

सचिवालय म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमि. जबलपुर की ओर प्रेषित करवाने की व्यवस्था करें। विभागीय/संकाय प्रमुख कृपया सूचित हों कि, उनके अधीनस्थ कार्यरत सभी इच्छुक कर्मियों की जानकारी एक साथ सूची के स्वरूप में ही (साफ्ट तथा हार्ड कापी में) मुख्य अभियंता (कारपोरेट मामले) कार्यालय की ओर प्रेषित की जावे, संभागीय अथवा वृत्त कार्यालयों की पृथक-पृथक सूची प्रेषित न की जाये।

किसी भी अधिकारी/कर्मचारी की दुर्घटना होने की स्थिति में संबंधित नियंत्रण अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे दुर्घटना के 24 घंटे के अंदर नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त सचिव के कार्यालय को फैंक्स एवं ईमेल से जानकारी प्रेषित करेंगे।

विभाग प्रमुख, कृपया इस परिपत्र का सभी कार्यरत कर्मियों के बीच प्रसार सुनिश्चित करने की व्यवस्था करें तथा उपरोक्तानुसार प्रपत्र "ब" में जानकारी (एक साफ्ट तथा 2 हार्ड कापी) दिनांक 17 अक्टूबर 2012 तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- प्रपत्र अ,ब एवं स
तथा अनुलग्नक-एक।

आदेशानुसार

(Handwritten Signature)
(व्ही.के.तिवारी)

मुख्य अभियंता (कारपोरेट मामले)
म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमि.
जबलपुर

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/ 1887
प्रतिलिपि :-

जबलपुर, दिनांक 16/7/2012

1. कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन विकास संस्थान)/(परीक्षण एवं संचार) म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमि. जबलपुर।
2. मुख्य अभियंता (टी. एंड पी.) कार्या : कार्यपालक निदेशक (टी. एंड पी.), म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमि., जबलपुर।
3. मुख्य वित्तीय अधिकारी/अतिरिक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा-एक/दो) म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमि., जबलपुर।
4. मुख्य अभियंता (योजना एवं ऊर्जा-पद्धति)/अति. मुख्य अभियंता (आई.टी. एवं ई.आर.पी.) /मुख्य अभियंता (अति उच्चदाब-संधारण)/अति उच्चदाब-निर्माण/(सी.आर.ए.सेल) / (सिविल-ट्रांसमिशन), म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमि., जबलपुर।
5. सलाहकार (प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग), म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
6. अधीक्षण अभियंता (अति उच्चदाब-निर्माण/संधारण)/(परीक्षण एवं संचार)/(सिविल)/ (400 के.व्ही. उपकेन्द्र)/(भंडार), म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड,
7. कार्यपालक अभियंता (अति उच्चदाब-निर्माण)/अति उच्चदाब-संधारण/(भंडार)/ (सिविल)/(परीक्षण)/(संचार)/(400 के.व्ही. उपकेन्द्र), म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड,
8. अति.अधीक्षण अभियंता (स्थापना) कार्यालय- मुख्य अभियंता (कारपोरेट मामले), म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमि., जबलपुर।
9. कल्याण अधिकारी, म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर
10. कंपनी सचिव, म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर
11. स्टाफ आफीसर/निज सचिव सम्बद्ध कार्या: प्रबंध निदेशक, म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
12. लेखाधिकारी (केन्द्रीय वेतन कार्यालय)/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर/इन्दौर/भोपाल।

13. वेब मास्टर, म.प्र. पॉवर ट्रांस. कं. लि. जबलपुर का परिपत्र कंपनी की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु। (90 CE-TSP)

(परिपत्र क्र. अस/एमपीपीटीसीएल/1886-87 जबलपुर, दिनांक 16-07-12 के साथ संलग्नक)

प्रपत्र (अ)

(संबंधित कार्यालय, जहाँ कर्मी कार्यरत है, वहाँ यह प्रपत्र 2 प्रतियों में तैयार किया जावे, एक प्रति संबंधित कार्यालय में तथा दूसरी प्रति विभाग प्रमुख/संकाय प्रमुख के कार्यालय में सुरक्षित रखी जावे)

भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से जारी की जाने वाली समूह-बचत सह-बीमा योजना (दुर्घटना हितलाभ सहित) (Group Savings Linked Insurance Scheme – GSLIS, with Accidental Insurance) में शामिल न होने बाबत घोषणा पत्र

मैं (नाम) पदनाम
कार्यालय म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से जारी की जाने वाली समूह बचत सह बीमा योजना (दुर्घटना हितलाभ सहित) (Group Savings Linked Insurance Scheme – GSLIS, with Accidental Insurance) में शामिल होने का इच्छुक नहीं हूँ।

दिनांक :-

हस्ताक्षर :-

नाम :-

पदनाम :-

जी.पी.एफ./
सी.पी.एफ नंबर
(GPF/CPF No.) :-

कर्मचारी नंबर :-
(Employee No.)

कार्यालय :-

(संबंधित कार्यालय, जहाँ कर्मी कार्यरत है, वहाँ यह प्रपत्र 2 प्रतियों में तैयार किया जावे, एक प्रति संबंधित कार्यालय में तथा दूसरी प्रति विभाग प्रमुख/संकाय प्रमुख के कार्यालय में सुरक्षित रखी जावे)

भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से जारी की जाने वाली समूह-बचत सह-बीमा योजना (दुर्घटना हितलाभ सहित) (Group Savings Linked Insurance Scheme – GSLIS, with Accidental Insurance) में शामिल कर्मी का घोषणा पत्र

मैं (नाम) पदनाम

कार्यालय म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि, भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से जारी की जाने वाली समूह बचत सह बीमा योजना (दुर्घटना हितलाभ सहित) **(Group Savings Linked Insurance Scheme – GSLIS, with Accidental Insurance)** में इस योजना के अंतर्गत प्रथम बार दो माह के अंशदान की कटौती मेरे वेतन से करने बाबत मैं अपनी पूर्ण सहमति प्रदान करता/करती हूँ। योजना में नियमित मासिक अंशदान जमा हो, यह सुनिश्चित करना मेरा दायित्व होगा। किन्हीं भी परिस्थितियों में यदि मासिक अंशदान नियमित रूप से जमा नहीं होता है तो बीमा सुरक्षा स्वतः समाप्त हो जायेगी और इस दौरान आकस्मिकता उत्पन्न होने पर या मृत्यु होने की दशा में दावा मान्य नहीं होगा, जिसके लिए कंपनी जवाबदार नहीं होगी। यदि मैं लगातार एक माह या उससे अधिक अवैतनिक अवकाश पर रहता/रहती हूँ तो ऐसी स्थिति में बीमा को चालू रखने की दृष्टि से जो भी अंशदान म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा जमा किया जायेगा, उसकी वसूली बाद में मेरे वेतन से अथवा अन्य देय स्वत्वों से की जा सकेगी। यदि स्वास्थ्य कारणों के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से मैं 3 माह से अधिक समय तक अवैतनिक अवकाश या अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता/रहती हूँ तो इस योजना के अंतर्गत अपना अंशदान जमा कराने की व्यवस्था मैं स्वयं करूंगा/करूंगी। इसकी मुझे पूर्ण जानकारी है कि स्वास्थ्य कारणोंवश कार्य से अनुपस्थित रहने के कारण वेतन न बनने की स्थिति में अधिकतम 12 माह तक कंपनी के द्वारा अंशदान जमा किया जावेगा तथा 12 माह के पश्चात कंपनी द्वारा अंशदान जमा नहीं किया जावेगा। इन अंशदानों की (बीमा चालू रखने की दृष्टि से) वसूली बाद में मेरे वेतन से अथवा अन्य देय स्वत्वों से की जावेगी जिसकी मैं पूर्ण सहमति प्रदान करता/करती हूँ। यदि मासिक अंशदान नियमित रूप से जमा नहीं होता है तो बीमा सुरक्षा स्वतः समाप्त हो जायेगी और इस दौरान मेरी मृत्यु होने की दशा में मेरा दावा मान्य नहीं होगा, जिसके लिए म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी जवाबदार नहीं होगी। अवकाश से लौटने, कार्यस्थल पर उपस्थित होने के उपरांत भारतीय जीवन बीमा निगम की सभी औपचारिकताओं की पूर्ति यथा प्रीमियम, ब्याज एवं स्वास्थ्य परीक्षण इत्यादि के पश्चात ही प्रचलित नियमानुसार जोखिम सुरक्षा पुनः नियमित हो सकेगी, तथापि इस संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति ली जाती है तो उसे मुझे मान्य करना होगा। उपरोक्त सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने की जिम्मेदारी मेरी होगी।

दिनांक :-

हस्ताक्षर :-

नाम :-

पदनाम :-

जी.पी.एफ/ :-

सी.पी.एफ नंबर

(GPF/CPF No.)

कर्मचारी नंबर :-

(Employee No.)

कार्यालय :-

अनुलग्नक -1 (Annexure - I)

समूह बचत-सह-बीमा योजना (दुर्घटना हितलाभ सहित) "GSLIS" (Group Savings Linked Insurance Scheme with Accident Benefit) के संबंध में आवश्यक जानकारियाँ

- (1) यह योजना किस तिथि से प्रभावी है तथा इसमें किस अवधि तक शामिल हुआ जा सकता है ?

इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से आवश्यक जानकारियाँ संकलित करने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अर्थात् जुलाई '2012 से अक्टूबर '2012 के द्वितीय सप्ताह तक इस योजना में शामिल हो सकते हैं।

- (2) कौन से कर्मी इस योजना में शामिल हो सकते हैं :-

म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत सभी कर्मी (चाहे वे म.प्र.राज्य विद्युत मंडल या उसकी उत्तरवर्ती कंपनियों से स्थानांतरित होकर ट्रांसमिशन कंपनी में आये हों अथवा म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा कंपनी कैडर में नियुक्त किये गये हों, सभी कर्मी) इस योजना में शामिल हो सकते हैं।

- (3) क्या इस योजना में शामिल होना अनिवार्य है अथवा यह ऐच्छिक है ?

इस परिपत्र के जारी होने की तिथि में म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत वर्तमान में कार्यरत सभी कर्मियों हेतु यह योजना ऐच्छिक है। एल.आई.सी. के द्वारा रखी गई अनिवार्य शर्त के अनुसार, इस योजना के प्रारंभ होने के पश्चात अर्थात् दिनांक 17 अक्टूबर '2012 के पश्चात कंपनी में शामिल होने वाले सभी नये कर्मियों (जो कंपनी कैडर के अंतर्गत नियुक्त किये जावेंगे), के लिये इस योजना में शामिल होना अनिवार्य रहेगा।

- (4) कौन से कर्मी "नये नियुक्त कर्मी" माने जावेंगे ?

इस योजना के प्रारंभ होने की तिथि के उपरांत जो भी कर्मी कंपनी कैडर के अंतर्गत नियुक्त किये जायेंगे, वे नये नियुक्त कर्मी माने जायेंगे, जिनके लिये इस योजना में शामिल होना अनिवार्य होगा। अन्य सभी कर्मी जो वर्तमान में म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं (म.प्र. राज्य विद्युत मंडल तथा इसकी उत्तरवर्ती कंपनियों से म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में स्थानांतरित सभी कर्मी या म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा कंपनी कैडर में नियुक्त कर्मी), वे कंपनी के विद्यमान कर्मी (Existing Employees) माने जायेंगे, जिन्हें इस योजना में शामिल होना ऐच्छिक रहेगा।

- (5) वर्तमान में कार्यरत कर्मी क्या इस योजना की प्रभावी तिथि के उपरांत कालांतर में शामिल हो सकते हैं ?

नहीं। एल.आई.सी. के द्वारा रखी गई अनिवार्य शर्त के अनुसार, जो कर्मी म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रण में वर्तमान में कार्यरत हैं उन्हें इस योजना में शामिल होने बाबत इसके उपरांत अवसर प्रदान नहीं किया जा सकेगा। अतः जो कर्मी वर्तमान में कार्यरत हैं वे इस योजना के शामिल होने की अवधि जुलाई '2012 से अक्टूबर '2012 के द्वितीय सप्ताह के मध्य अपनी सहमति संबंधित कार्यालय को प्रेषित करें इसके उपरांत उनके किसी भी अनुरोध को मान्य किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। तथापि, यदि एल.आई.सी. के द्वारा इसमें अनुमति दी जाती है तो एल.आई.सी. की सम्पूर्ण औपचारिकताओं को पूर्ण कर ऐसे कर्मी

कालान्तर में शामिल हो सकते हैं जिसके लिये एल.आई.सी. द्वारा प्रदत्त घोषणा पत्र को पूर्ण करने का दायित्व संबंधित कर्मों का होगा।

(6) देय प्रीमियम के संबंध में ?

संलग्न परिपत्र में इंगित विवरणानुसार, श्रेणी के अनुरूप देय प्रीमियम प्रतिमाह वेतन से काटा जा सकेगा। इस विवरण में दुर्घटना हितलाभ के बिना तथा दुर्घटना हितलाभ सहित, दोनों प्रकार से देय प्रीमियम दर्शाया गया है। इच्छुक कर्मों जिस प्रकार से योजना में शामिल होना चाहते हैं, तदनुसार अपनी सहमति दे सकते हैं। प्रीमियम प्रतिमाह 20 तारीख को देय होगा। उदाहरणार्थ इस माह का देय प्रीमियम अगले माह की 20 तारीख के पूर्व एल.आई.सी. को प्राप्त हो जाना अनिवार्य रहेगा। अतः आगामी माह के वेतन से पिछले माह का प्रीमियम काटा जा सकेगा। सामान्यतः प्रतिमाह देय प्रीमियम वेतन में से काटकर एकीकृत स्वरूप में वेतन कार्यालय/क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों द्वारा एल.आई.सी. की ओर प्रेषित किया जावेगा। तथापि, कर्मों के अवैतनिक अवकाश पर रहने या स्थानांतरण होने के पश्चात नवीन कार्यस्थल में कार्य ग्रहण न करने या ड्यूटी से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने या गायब होने की स्थिति या अन्य किसी प्रकार की परिस्थिति में, जिसके अंतर्गत कर्मों का वेतन नहीं बन रहा हो या अनुशासनात्मक कार्यवाही कर वेतन रोक दिया गया हो तो ऐसी परिस्थिति में एल.आई.सी. को प्रीमियम वेतन से काटकर दिया जाना संभव नहीं हो सकेगा। उपरोक्त परिस्थितियों के अंतर्गत चूंकि एल.आई.सी. को प्रीमियम नहीं प्राप्त होगा, अतः संबंधित कर्मों का बीमा से संबंधित दावा (दुर्घटना हितलाभ सहित अथवा दुर्घटना हितलाभ के बिना) एल.आई.सी. द्वारा मान्य नहीं किया जावेगा। ऐसी स्थिति में, उक्त योजना के अंतर्गत, संबंधित कर्मों के द्वारा बचत के स्वरूप में जमा राशि पर ब्याज एल.आई.सी. के द्वारा नियमानुसार मान्य शर्तों के अनुरूप प्राप्त होता रहेगा।

तथापि, उक्त बिन्दु सभी कर्मियों के जानकारी हेतु सुविधा की दृष्टि से दिये जा रहे हैं। इसके संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित कर्मों श्री पंकज अवस्थी, ब्रांच मैनेजर, एल.आई.सी. मुख्य शाखा, नागपुर रोड, जबलपुर (मोबाइल नंबर : 94251-57995) से सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।